न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(133)

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3923/2018/धार/भू.रा. विरूद्ध सीमांकन पंचनामा दिनांक 10.05.2017 एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 01.12.2017 के आधार पर अदिनांकित आदेश पारित द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा, जिला धार प्रकरण क्रमांक 25/अ-12/2017.

---

1. अजीज पिता अजमेरी पटेल
2. कुदरत पिता अजमेरी पटेल
3. नौशाद पिता अजमेरी पटेल
4. इस्लाम पिता अजमेरी पटेल

निवासीगण ग्राम पलवाड़ा, तह. बदनावर,

जिला धार, म.प्र. .... आवेदकगण

विरूद्ध

जावेद पिता अब्बास पटेल

निवासी ग्राम पलवाड़ा, तह. बदनावर,

जिला धार, म.प्र. .... अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री तुषार दुबे, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/3/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा, जिला धार द्वारा सीमांकन पंचनामा दिनांक 10.05.2017 एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 01.12.2017 के आधार पर पारित अदिनांकित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक जावेद पिता अब्बास निवासी पलवाड़ा, तहसील बदनावर द्वारा अपने भूमि स्वामी स्वत्व की ग्राम पलवाड़ा प.ह.नं. 44/84 राजस्व निरीक्षक, वृत्त कानवन तहसील बदनावर, जिला धार सर्वे नंबर 417, 418 व 419 रकबा क्रमशः 0.999, 0.522 व 2.580 हैक्टेयर भूमि सीमांकन हेतु कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख, जिला धार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा, जिला धार द्वारा प्रकरण क्र. 25/अ-12/17-18 दर्ज कर प्रकरण में प्रस्तुत सीमांकन पंचनामा दिनांक 10.05.2017 एवं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 01.12.2017 के आधार पर अदिनांकित आदेश पारित किया गया। अधीक्षक भू-अभिलेख के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण का सर्वप्रथम तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर से बिना दिनांक अंकित किये कार्यवाही प्रारंभ की जाकर अदिनांकित आदेश जिसमें सीमांकन दिनांक 10.05.2018 को किया जाना उल्लेखित होकर कार्यवाही नस्तीबद्ध किया जाना आदेश पत्रिका से प्रमाणित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही प्रथमदृष्टया अवैधानिक व अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में 1994 आर.एन. 102 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत मूल सीमांकन आवेदन को नियमानुसार मानने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन में संहिता की धारा 129 के नियम 2 तथा 3(ग) अनुसार उसकी भूमि से लगी अन्य कृषकों व आवेदकगण की भूमि के सर्वे क्रमांकों का उल्लेख नहीं होने से उक्त आवेदन सीमांकन नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं होने से विधिक रूप से पोषणीय ही नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य था। इस संबंध में 2014 आर.एन. 69 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 129 में दिये गये नियमों व प्रावधानों पर बिना कोई विचार किये गठित दल द्वारा प्रस्तुत अवैधानिक सीमांकन प्रतिवेदन व पंचनामे के आधार पर आदेश पारित करनेमें गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जिससे

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही व आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आवेदकगण की भूमियों बाबद दस्तावेजों का अवलोकन किये मनमाने तौर पर तथाकथित सीमांकन कार्यवाही किये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि सर्वे क्र. 426 का बटांकन होकर राजस्व अभिलेखों में सर्वे क्र. 426/1 रकबा 1.390 हैक्टेयर आवेदकगण अजीज, कुदरत नौशाद पिता अजमेरी के नाम से दर्ज होकर एवं सर्वे क्र. 426/2 रकबा 1.506 हैक्टेयर आवेदक इस्लाम पिता अजमेरी के नाम से दर्ज होकर अनावेदक की भूमि सर्वे क्र. 417 की पूर्वी मेड़ से लगी होने के बावजूद भी इस्लाम पिता अजमेरी को बिना कोई सूचना दिये अवैधानिक कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में 1988 आर.एन. 105 एवं 2016(2) आर.एन. 24 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने इस वैधानिक तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि प्रकरण में जारी सीमांकन सूचना पत्र में वर्तमान सभी आवेदकगण को विधिवत नोटिस तामिल कराये बिना ही की गई सीमांकन कार्यवाही नियमों व विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है एवं उक्त विधि विपरीत प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन पर आवेदकगण को सुनवाई का कोई अवसर ना दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता में दिये गये सीमांकन नियमों एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सीमांकन सूचना पत्र में सूचना पत्र जारी होने की दिनांक का कोई उल्लेख न होकर उसमें सीमांकन हेतु दिनांक 11.05.2017 नियत होना उल्लेखित किये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन पंचनामा दिनांक 10.05.2017 से तथाकथित सीमांकन दिनांक 10.05.2017 को होना मान्य कर आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है, जबकि उक्त संदेहास्पद सूचना पत्र के आधार पर गठित सीमांकन दल द्वारा की गई समस्त कार्यवाही संहिता में दिये गये सीमांकन नियमों के विपरीत होने से उक्त प्रतिवेदन, सीमांकन पंचनामा व सूचना पत्र के आधार पर पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन पंचनामे दिनांक 10.05.2017 में सीमांकन प्रारंभ होने व समाप्त होने के समय का कोई उल्लेख नहीं होने के बावजूद

भी उक्त संदेहास्पद सीमांकन को मान्य किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की गंभीर त्रुटि की है।

(8) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन हेतु जो सूचना पत्र अनावेदक की भूमि के अड़ोसी-पड़ोसी कृषकों को देना दर्शित किया गया है। उक्त सूचना पत्र में किस तारीख को, उक्त सूचना पत्र किस व्यक्ति (कृषक) को निर्वाहित किया गया, इस संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख व रिपोर्ट ना होने से उक्त सूचना पत्र संदेहास्पद होकर गठित सीमांकन दल द्वारा सूचना पत्र के आधार की गई सीमांकन की कार्यवाही विधिक रूप से औचित्यहीन है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण सीमांकन कार्यवाही अवैधानिक हेाने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(9) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गठित सीमांकन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन बिना विधिवत फील्डबुक तैयार किये एवं बिना मौके का नक्शा तैयार किये प्रस्तुत किया था, जिस पर कोई विचार न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा अपनी प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराने बावत, आवेदन पत्र दिनांक 2-5-2017को प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण के पृष्ठ 10 पर सीमांकन कार्यवाही हेतु दल गठित करने संबंधी आदेश संलग्न है, जिसमें कोई दिनांक अंकित नहीं है, उसमें सीमांकन हेतु दिनांक 10-5-2017 नियत की गई है । इसी प्रकरण के पृष्ठ 13 पर सीमांकन दल गठित करने संबंधी आदेश दिनांक 8-5-17 संलग्न है जिसमें सीमांकन दिनांक 11-5-17 को सीमांकन किए जाने का उल्लेख है । इसी प्रकार कुछ सूचनापत्रों में दिनांक 10-5-17 को सीमांकन किये जाने का उल्लेख है तो कुछ में दिनांक 11-5-17 को सीमांकन किए जाने का उल्लेख है, यहां तक

कि जो सूचनापत्र कुछ व्यक्तियों पर तामील हुआ है उसमें सीमांकन दिनांक 11-5-17 को किये जाने का उल्लेख है, जबकि सीमांकन दिनांक 10-5-17 को किया गया है । प्रकरण में संलग्न आदेश पत्रिका में आदेशिकाओं के दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है कि किस दिनांक को प्रकरण दर्ज हुआ, कब सीमांकन दल गठित किया गया और कब सूचनापत्र जारी किये गये । उक्त आदेश पत्रिका में प्रकरण क्रमांक 25-अ-12/17 दिनांक 29-6-17 अंकित है । इससे स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मनमाने तौर से सीमांकन कार्यवाही की गई है, जो इसी आधार पर निरस्ती योग्य है ।

6/ सीमांकन पंचनामे में सर्वे क्रमांक 417 की पूर्वी मेड पर 0.10 आवेदक क्रमांक 1, 2 एवं 4 का कब्जा पाये जाने का उल्लेख है जबकि आवेदक क्रमांक 1 एवं 2 को सूचनापत्र तामील नहीं हुआ है, क्योंकि तामीली-स्वरूप उनके हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है और अनावेदक क्रमांक 4 को तो सूचनापत्र जारी ही नहीं किया है । पडोसी कृषकों को भी सूचना दी जाना परिलक्षित नहीं होता है । इस संबंध में 2014 आर0एन0 69 बद्रीप्रसाद विरूद्ध रामस्वरूप जाटव एवं अन्य में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " सटे हुए कृषकों को सूचना दिए बिना किया गया सीमांकन अवैध है ।" अतः उक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा किया गया सीमांकन अवैध होकर निरस्ती योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा, जिला धार द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/अ-12/2017 में की गई सीमांकन कार्यवाही, प्रतिवेदन दिनांक 1-12-17 एवं अदिनांकित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर